

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2022—आषाढ 1, शक 1944

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2022

क्र. एफ-01-14-2014-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ.-01-30-2007-बीस-1, दिनांक 26 अगस्त, 2011 में प्रकाशित मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2011 को निरसित करता है;

परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा.

Bhopal, the 22nd June 2022

No.F-01-14-2014-XX-1.—In exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution of India, The Government of Madhya Pradesh, hereby, repeals the Madhya Pradesh, School Education Teacher Education and Training Academic (Gazetted) Service Recruitment and Condition's of Service Rules, 2011 published in the Madhya Pradesh Gazette, (Extra-ordinary) School Education Department's No. F-01-30-2007-XX-1, dated 26th August, 2011;

Provided that such repeal shall not affect anything done or any action taken under rules so repealed.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव.